

## फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :- लोगर

विपक्षी :- आसू

किस्म मुकदमा :- 88, 63(1)(4) आरटीएक्ट

पत्रावली संख्या :- 148/22 वाद

जीसीएमएस नम्बर :- 2022/379

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 17.11.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। अधिवक्ता श्री जितेन्द्र लक्ष्कार द्वारा वादी संख्या 1 के वारिसान का वकालत पत्र प्रस्तुत किया गया। शा.फा. रहे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा निवेदन किया की वादीगण वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। इसी स्तर पर विद्धो कर खारिज करवाना चाहते हैं। अंत में निवेदन किया की वादीगण के वाद को इसी स्तर विद्धो फरमाया जाकर खारिज किया जावे।</p> <p>न्यायालय का विनम्रतापूर्वक अभिमत है कि अधिवक्ता वादीगण स्वयं ही प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। प्रकरण को इसी स्तर पर विद्धो कर खारिज करवाना चाहते हैं। इस संबंध में अधिवक्ता वादीगण द्वारा नोट शीट पर भी अंकित किया है। ऐसे में प्रकरण को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद इसी स्तर पर विद्धो फरमाया जाकर खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"><b>(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)</b> सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

